चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर

प्रबन्ध मण्डल की १४२वीं बैठक

का कार्यवृत्त

चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर।

प्रबन्ध मण्डल की १४२वीं बैठक का कार्यवृत्त।

दिनॉक : १६ एवं १७.०७.२०१०
सभास्थल : कुलपति महोदय का समिति कक्ष।
समय : मध्यान्ह १२:०० बजे

<u>उपस्थिति</u> :-

१.	**डा० जी०सी० तिवारी,** कुलपति	अध्यक्ष
२	**श्री एस०सी० मुदगल,** अपर निदेशक कोषागार,	प्रमुख सचिव वित्त के प्रतिनिधि
३.	**श्री प्रद्युम्न त्रिपाठी,** अपर कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश	निदेशक कृषि उ० प्र० के प्रतिनिधि
४.	**श्री सुनील कुमार,** अनु सचिव कृषि, उत्तर प्रदेश	प्रमुख सचिव कृषि उ० प्र० के प्रतिनिधि
५.	**डा० आर० के० दीक्षित,** कृषि वैज्ञानिक, वी०-११ रावतपुर कालोनी, कानपुर	सदस्य
६.	**श्री राम शिरोमणि शुक्ल,** सदस्य विधान सभा, शुक्ला भवन, ७८१/२ डी०, बाधम्बरी गद्दी रोड, नेह निकुंज कलोनी, अल्लापुर, इलाहाबाद	सदस्य
७.	**श्रीमती अरूणा तोमर,** सदस्य विधान सभा, ५६८, सफीपुर, लाल बंगला, रामादेवी चौराहा, कानपुर।	सदस्या
८.	**श्रीमती विजय लक्ष्मी पाल,** ग्राम-बडागॉव गुलाम कयूम, पोस्ट-झीझंक, तहसील-डेरापुर, जिला-कानपुर देहात।	सदस्या
९.	**श्री सुरेश पचौरी (पूर्व प्रधान),** ग्राम-नौहरिका, पोस्ट-इरादत नगर, जनपद-आगरा।	सदस्य
१०.	**श्री हरेन्द्र कुमार त्यागी,** ग्राम-सेवरा, थाना-बरहन, तहसील-एत्मादपुर, जिला-आगरा।	सदस्य
११.	**श्री मनोज राठी,** पलवल रोड, खैर, जनपद-अलीगढ़।	सदस्य
१२.	**श्री० कमलेश कुमार रावत,** अर्थ नियन्त्रक	सचिव

19/7

19-7-10

सर्वप्रथम कुलपति महोदय एवं अध्यक्ष, प्रबन्ध मण्डल द्वारा मा० सदस्यों का स्वागत किया गया। तदोपरान्त अध्यक्ष महोदय की अनुमति से सचिव, प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर प्रबन्ध मण्डल के मा० सदस्यों द्वारा मदवार चर्चा की गयी। प्रस्तुत प्रस्तावों पर मा० प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्राप्त निर्णयों का मदवार विवरण निम्नवत् है :

मद संख्या १	:	**प्रबन्ध मण्डल की दिनाँक २३.०४.२०१० को सम्पन्न हुई १४१वीं बैठक की कार्यवाही का अनुमोदन।** मा० प्रबन्ध मण्डल द्वारा १४१वीं बैठक दिनांक २३.४.२०१० की कार्यवृत्त का अनुमोदन/पुष्टि कर दी गयी।
मद संख्या २	:	**चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रबन्ध मण्डल की १४१वीं बैठक दिनांक २३.०४.२०१० में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही।** मा० प्रबन्ध मण्डल द्वारा कृत कार्यवाही पर सन्तोष व्यक्त किया गया तथा मद संख्या-२ पर प्रबन्ध मण्डल द्वारा निर्णय लिया गया कि श्री टी०पी० दुबे के प्रकरण पर मा० कुलपति महोदय स्वयं विश्वविद्यालय हितों के अनुरूप यथोचित तथा यथासमय निर्णय लेंगे। यह प्रकरण मा० प्रबन्ध मण्डल में लाने योग्य नही है।
मद संख्या ३	:	**झाँसी मण्डल एवं चित्रकूट धाम मण्डल के जनपदों के अन्तर्गत चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर की आने वाली समस्त परिसम्पत्तियों को मान्यवर श्री कांशीराम जी कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बाँदा को हस्तान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।** मा० प्रबंन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
मद संख्या ४	:	**Indian Institute of Soil Science Nabibagh Berasia Road, Bhopal द्वारा स्वीकृत ICAR – All India Coordinated Research Project on "Preparation of GPS and GIS based Soil fertility maps for selected districts of the country" नामक योजना के विश्वविद्यालय में क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।** मा० प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
मद संख्या ५	:	**राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजनान्तर्गत स्वीकृत एवं वित्त पोषित परियोजना "Establishment of Plant Health Clinic" के विश्वविद्यालय में क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।** मा० प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

19/7

19-7-10

मद संख्या ६	:	**मा० प्रबन्ध मण्डल की १४१वीं बैठक दिनांक २३.४.२०१० के पूरक मदसंख्या-६.६ पर लिये गये निर्णयानुसार गठित समिति की बैठक दिनांक १७.६.२०१० में की गई संस्तुतियों पर विचार हेतु प्रस्ताव।** मा० प्रबन्ध मण्डल ने बहुमत के आधार पर प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया परन्तु अध्यक्ष महोदय द्वारा रिक्त पदों की स्थिति और प्रतीक्षा सूची के सम्बन्ध में शासन से मार्गदर्शन प्राप्त कर कार्यवाही किये जाने पर सहमति प्रदान की गयी।
मद संख्या ७	:	**मा० प्रबन्ध मण्डल की १४१वीं बैठक दिनांक २३.४.२०१० के पूरक मदसंख्या-६.६ पर लिये गये निर्णयानुसार गठित समिति की बैठक दिनांक १७.६.२०१० में दी गई संस्तुतियों पर विचार हेतु प्रस्ताव।** मा० प्रबन्ध मण्डल द्वारा निर्णय लिया गया कि डा० प्रभाकान्त मिश्रा की सेवाऐं यथा सम्भव विश्वविद्यालय से समाप्त न की जायें तथा विश्वविद्यालय में लागू निर्धारित मानदेय पर आवश्यकतानुरूप इनकी सेवाऐं ली जाय।
मद संख्या ८	:	**डा० अतुल कुमार सिंह, शोध सहायक वेतनमान रू० ५००-९०० का वेतनमान पुनरीक्षित करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।** मा० प्रबन्ध मण्डल द्वारा निर्णय लिया गया कि इस प्रकरण में विश्वविद्यालय द्वारा नियमों/शासनादेशों के अनुरूप कार्यवाही की जाय तथा डा० अतुल कुमार सिंह, शोध सहायक वेतनमान रू० ५००-९०० को पुनरीक्षित करने हेतु शासन से अनुरोध किया जाय।
मद संख्या ९	:	**मा० प्रबन्ध मण्डल की १४१वीं बैठक दिनांक २३.४.२०१० के पूरक मद संख्या-६.६ पर लिये गये निर्णयानुसार गठित समिति की बैठक दिनांक १७.६.२०१० के कार्यवृत्त बिन्दु संख्या-२ पर दी गई संस्तुतियों पर विचार हेतु प्रस्ताव।** मा० प्रबन्ध मण्डल द्वारा निर्णय लिया गया कि यह प्रकरण मा० उच्च न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण इस प्रकरण पर प्रबन्ध मण्डल द्वारा गुण-दोष के आधार पर निर्णय नही लिया जा सकता। अतः मा० उच्च न्यायालय के निर्णयानुसार कार्यवाही किया जाना उचित होगा।
मद संख्या १०	:	**महामहिम कुलाधिपति महोदय के निर्णय पत्र संख्याः ई-१९२०/जी०एस०/ २०१० दिनांक ०५.०२.२०१० के अनुपालन स्वरूप गठित समिति की संस्तुतियों पर विचार हेतु प्रस्ताव।** प्रबन्ध मण्डल ने महामहिम कुलाधिपति महोदय के निर्णय पत्र सं०संख्या-ई-१९२०/जी०एस०/२०१० दिनॉक ०५.०२.२०१० में किये गये उल्लेख एवं पुर्नपरीक्षण हेतु गठित समिति की बैठक दिनॉक २६.०६. २०१० में गहन समीक्षा के उपरान्त की गई संस्तुतियों के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया कि :

19-7-10

19/7

		१. विश्वविद्यालय अधिनियम/परिनियमों में अल्पकालिक/अंशकालिक व्यवस्था में नियुक्त किये जाने का कोई प्राविधान नही है। डा० मीरा श्रीवास्तव, डा० कुसुम द्विवेदी, डा० राम नरेश दीक्षित एवं डा० वी०एन० त्रिपाठी की प्रारम्भिक नियुक्ति रिसर्च एसोसियेट के रूप में की गई है, इसी प्रकार डा० रितु पाण्डेय एवं इं० प्रदीप कुमार सिंह भदौरिया की प्रारम्भिक नियुक्ति संविदा शिक्षक के रूप में की गई है, जिसे महामहिम कुलाधिपति के संदर्भित निर्णय दिनॉक ०५.०२.२०१० में अल्पकालिक/अंशकालिक व्यवस्था के अन्तर्गत स्वीकार नही की गई है। २. तत्कालीन संविदा शिक्षक डा० रितु पाण्डेय एवं इं० प्रदीप कुमार सिंह भदौरिया की अधिनियम की धारा २६(क) के प्रथम बिन्दु की शर्त (निरन्तरता) पूरी नही होती है क्योंकि एक संविदा के समाप्त होने के पश्चात दूसरी संविदा के बीच में ब्रेक रहा है। ३. शासनादेश संख्या-१८०८/१२-८-१५०६/९६ दिनॉक १४ मार्च, १९९७ में यह स्पष्ट आदेश है कि रिसर्च एसोसियेट्स को भविष्य में भुगतान न किया जाय, परन्तु इनके समय-समय पर अन्य योजनाओं में योजित रखकर नियत धनराशि का भुगतान किया जाता रहा जो उक्त शासनादेश के विरूद्ध है। ४. अधिनियम की धारा २३ के अन्तर्गत श्री जे०पी० भदौरिया, ग्राम व पोस्ट- लोहागढ़, जनपद- कन्नौज, उ०प्र० के प्रत्यावेदन दिनॉक ०२.०७.२००८ में उल्लिखित समस्त बिन्दुओं पर विपक्षीगणों का पक्ष सुनने के पश्चात डा० (श्रीमती) मीरा श्रीवास्तव, डा० कुसुम द्विवेदी, डा० रितु पाण्डेय एवं इन्हीं के समान अन्य लाभार्थी डा० राम नरेश दीक्षित, डा० वी०एन० त्रिपाठी एवं इं० प्रदीप कुमार सिंह भदौरिया के नियुक्ति आदेशों को महामहिम कुलाधिपति महोदय के निर्णय पत्र दिनॉक ०५.०२.२०१० में अपास्त किया गया है। अतएव अधिनियम की धारा २६(क) के अन्तर्गत डा० मीरा श्रीवास्तव, डा० कुसुम द्विवेदी, डा० राम नरेश दीक्षित, डा० वी०एन० त्रिपाठी, डा० रितु पाण्डेय एवं इं० प्रदीप कुमार सिंह भदौरिया की संदर्भगत नियुक्तियॉ निरस्त की जाती हैं।
मद संख्या ११	:	**अध्यापकों की वैयक्तिक प्रोन्नति योजना के परिनियमों में आवश्यक संशोधन के लिए प्रस्ताव।** मा० प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
मद संख्या १२	:	**कैरियर एडवांसमेन्ट स्कीम के अन्तर्गत सह-प्राध्यापक से प्राध्यापक पद पर पदोन्नति हेतु प्राप्त बायो-डाटा वाह्य विश्वविद्यालय/संस्थाओं के विषय विशेषज्ञों से मूल्यांकन कराने हेतु सम्बन्धित विषय विशेषज्ञ को प्रति बायो-डाटा रू० ५००/- (रूपया पाँच सौ मात्र) मानदेय दिये जाने के अनुमोदन का प्रस्ताव।** मा० प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

19-7-10

मद संख्या १३	:	**शासनादेश संख्या- २६७/६७-कृशिअ -०६-४००/८७/०८ दिनॉक १७.०३.०६ द्वारा दिये गये निर्देशानुसार करायी गई जॉच की जॉच रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव।** मा० प्रबन्ध मण्डल के समक्ष डा० मुकेश श्रीवास्तव का प्रकरण प्रस्तुत हुआ। शासनादेश सं० २६७/६७-कृशिअ -०६-४००/८७/०८ दिनॉक १७.०३.०६ के परिप्रेक्ष्य में विश्वविद्यालय द्वारा जॉच करायी गयी। जॉच समिति के एक सदस्य के दृष्टिकोण से श्री श्रीवास्तव दोषी प्रतीत होते है किन्तु जॉच समिति के अध्यक्ष द्वारा अन्तिम रूप से उन्हे दोषमुक्त पाया गया। फिर भी इस मामले में विश्वविद्यालय के पत्रांक-सीएसयूएच-७०७/२०१० दिनॉक जून १८, २०१० द्वारा डा० श्रीवास्तव को भविष्य में ऐसी शिथिलता की पुनरावृत्ति न करने की हिदायत दी गयी है। चर्चा के दौरान पाया गया कि डा० श्रीवास्तव के प्रकरण को पुनः सुना जाय। प्रबन्ध मण्डल द्वारा इस प्रकरण को पुनः देखे जाने हेतु एक समिति का गठन किया गया जिसके सदस्य निम्नवत् होगे :- १. मा० श्री राम शिरोमणि शुक्ल। २. मा० श्री हरेन्द्र त्यागी। ३. मा० श्री सुरेश पचौरी। ४. माननीया श्रीमती अरूणा तोमर। ५. मा० श्री मनोज राठी। ६. विशेष सचिव। ७. अपर निदेशक, कोषागार। जाचॅ की आगमी बैठक दिनांक ०३.०८.२०१० को विश्वविद्यालय के मा० कुलपति महोदय के समिति कक्ष में होगी।
मद संख्या १४	:	**अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य प्रस्ताव।**
पूरक १	:	**श्री टी०सी० मिश्र द्वारा मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित याचिका संख्या- २६२४६/०७ पर पारित निर्णय दिनांक ०६.०६.२००६ के अनुपालन में दिनांक २२.०३.२००१ से दिनांक २७.११.२००१ तक की अवधि का वेतन भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।** मा० प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव के परीक्षणोपरान्त निर्णय लिया गया कि श्री मिश्र को प्रश्नगत अवधि दिनांक २२.०३.२००१ से दिनांक २७.११.२००१ तक वेतन भुगतान सम्बन्धी प्रकरण का परीक्षण विश्वविद्यालय के अधिकारियों, प्रबन्ध मण्डल द्वारा नियुक्त जॉच अधिकारी, विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा-२३ के अर्न्तगत महामहिम कुलाधिपति महोदय, मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद एवं मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विधिवत हो चुका है जिसके अनुसार श्री टी०सी० मिश्रा को प्रश्नगत अवधि का वेतन भुगतान देय नहीं है।

19/7

19-7-10

पूरक २	:	डा० आर० एल० श्रीवास्तव, प्राध्यापक आनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन, जो आई०सी० ए०आर० की अलसी परियाजना में "परियाजना समन्वयक" के पद पर दिनांक १६.०७.२००७ से दिनांक ३१.१२.२०१२ तक का धारणाधिकार बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव। मा० प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
पूरक ३	:	मोन सेन्टो इण्डिया लिमिटेड, मुम्बई द्वारा स्वीकृत एवं शत-प्रतिशत वित्त पोषित ***"Testing of Maize Hybrids-"*** के परीक्षण विश्वविद्यालय में क्रियान्वयन के सम्बन्ध में। मा० प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
पूरक ४	:	प्रगति आख्या (०१ अप्रैल, २०१० से ३० जून, २०१० तक) चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर। मा० प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रगति आख्या पर संतुष्टि व्यक्त की गई।
पूरक ५		कृषि महाविद्यालय के अधीन कुछ पाठ्यक्रमों को विधिवत विभागों के गठन होने तक सम्बन्धित विभागों के अन्तर्गत संचालित किये जाने पर विचार। मा० प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
पूरक ६		कृषि महाविद्यालय के अधीन कुछ पाठ्यक्रमों को विधिवत विभागों के गठन होने तक सम्बन्धित विभागों के अन्तर्गत संचालित किये जाने पर विचार। मा० प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
पूरक ७		डा० ए०के० सिंह, कार्यवाहक जोनल प्रोजेक्ट डायरेक्टर जोन-IV कानपुर का चयन जोनल प्रोजेक्ट डायरेक्टर जोन-IV कानपुर में पाँच वर्षों के लिये हो जाने के फलस्वरूप धारणाधिकार सुरक्षित रखे जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव। मा० प्रबन्ध मण्डल द्वारा धारणाधिकार दो वर्ष के लिये सुरक्षित रखे जाने हेतु सहमति प्रदान की गई।
पूरक ८		डा० सतेन्द्र कुमार, सह-प्राध्यापक (मृदा विज्ञान), बाबा साहब डा० भीम राव अम्बेदकर कृषि अभियान्त्रिकी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, इटावा का दो वर्ष का धारणाधिकार दिनांक ०८.०७.२०१० को पूर्ण हो जाने के उपरान्त उनके व्यक्तिगत अनुरोध पर दो वर्ष के लिये धारणाधिकार और विस्तारित किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव। मा० प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित नही किया गया।

19-7-10

14/7

मा० प्रबन्ध मण्डल के मा० सदस्यों द्वारा दिनॉक १७.०७.२०१० को विश्वविद्यालय प्रांगण एवं फार्म पर चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया गया। मा० सदस्यों ने विश्वविद्यालय के निर्माण कार्यों विशेषकर फार्मों पर चल रहे कार्यों की अत्यन्त सराहना की।

अन्त में बैठक मा० अध्यक्ष एवं सम्मानित सदस्यों को धन्यवाद उपरान्त समाप्त हो गयी।

अनुमोदित

19.7.10

{डा० जी०सी० तिवारी}
कुलपति एवं अध्यक्ष
प्रबन्ध मण्डल

19-7-10

{कमलेश कुमार रावत}
अर्थ नियन्त्रक एवं सचिव
प्रबन्ध मण्डल